

राजस्थान सरकार जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डीग

क्रमांक: सू.प्रौ./डीग/सामान्य/2025/266

दिनांक: 19.03.2025

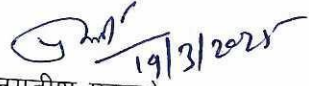
कार्यालय आदेश

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक F8(24)Doc/Gen/98/00042 दिनांक 31.01.2025 की अनुपालना में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डीग में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए समिति का गठन The Sexual Harassment of woman at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	पद व पदस्थापन स्थान	समिति
1.	उमा कुमारी, सूचना सहायक	अध्यक्ष
2.	प्रियांशी गुप्ता, सूचना सहायक	सदस्य
3.	सचिन शर्मा, सहायक प्रोग्रामर	सदस्य

यह समिति कार्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकार कामकाजी महिलाओं की शिकायतों को निवारण/क्षतिपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी-

- सभी शिकायतों को एक स्थायी रजिस्टर में अंकित कर उसका लेखा-जोखा रखना।
- प्रत्येक शिकायत के निवारण संबंधी विवरण को संक्षेप में रजिस्टर में अंकित करना।
- प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना।


(जगदीश प्रसाद)

सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डीग
दिनांक: 19.03.2025

क्रमांक: सू.प्रौ./डीग/सामान्य/2025/267-273
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित:-

1. श्रीमान संयुक्त सचिव एवं तकनीकी निदेशक महोदय, सू. प्रौ. और संचार विभाग मुख्यालय, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डीग।
3. प्रोग्रामर/ब्लॉक प्रभारी, समस्त ब्लॉक, सूचना प्रौ. और संचार विभाग जिला डीग।
4. उमा कुमारी, सूचना सहायक, सूचना प्रौ. और संचार विभाग ब्लॉक कुम्हेर।
5. प्रियांशी गुप्ता, सूचना सहायक, सूचना प्रौ. और संचार विभाग ब्लॉक डीग।
6. सचिन शर्मा, सहायक प्रोग्रामर, सूचना प्रौ. और संचार विभाग ब्लॉक डीग।
7. रक्षित पत्रावली।


सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डीग